

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, 6वाँ तल उ०प्र०, लखनऊ

संख्या-एम०ई०-३/यूजी-२०२२/

लखनऊ:दिनांक 11 नवम्बर, 2022

यू०पी० नीट यू०जी०-२०२२ के द्वितीय चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग की समय-सारिणी

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०) में प्रवेश हेतु द्वितीय चक्र की समय सारिणी निम्नवत् है:-

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने की तिथि	दिनांक 11.11.2022 को अपराह्न 04.00 बजे से दिनांक 14.11.2022 को अपराह्न 02:00 बजे तक
सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की तिथि	दिनांक 11.11.2022 को अपराह्न 04.00 बजे से दिनांक 15.11.2022
मेरिट लिस्ट घोषित करने की सम्भावित तिथि	दिनांक 14.11.2022
ऑनलाईन अभिलेखों के सत्यापन की तिथि	दिनांक 12.11.2022 से दिनांक 15.11.2022
ऑनलाईन च्वाइस फिलिंग की तिथि	दिनांक 16.11.2022 को अपराह्न 04.00 बजे से दिनांक 18.11.2022 अपराह्न 02.00 बजे तक
परिणाम घोषित करने की तिथि	दिनांक 20/21.11.2022
आवंटन पत्र डाउनलोड करने एवं प्रवेश लेने की तिथि	दिनांक 21.11.2022 से दिनांक 24.11.2022 तक

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों से जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- प्रथम चक्र में पंजीकृत अभ्यर्थियों को पुनः पंजीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- जिन अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें पुनः डाक्युमेन्ट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिनके डाक्युमेन्ट वेरिफाई नहीं हुए हैं वह डाक्युमेन्ट अपलोड करते हुए डाक्युमेन्ट वेरिफाई करा सकते हैं।
- आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी प्रारूप पर ही मान्य होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे एवं अनारक्षित नीट स्कोर के कट-ऑफ पर ही अर्ह होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके हैं, ऐसे अभ्यर्थी रू० 2000/- पंजीकरण शुल्क जमा कर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- सिक्योरिटी धनराशि के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों की सीटों हेतु रू० 30,000/- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों हेतु रू० 2,00,000/- तथा निजी क्षेत्र के डेंटल कालेजों की सीटों हेतु रू० 1,00,000/- नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड व एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से आन-लाईन भुगतान (रजिस्ट्रेशन के उपरान्त) करते हुये काउंसिलिंग प्रक्रिया में बैंक द्वारा एमआईएस/भुगतान की पुष्टि होने के उपरान्त ही विकल्प भर सकते हैं।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा रू० 2,00,000/- सिक्योरिटी जमा की जाती है, तो वह राजकीय/निजी क्षेत्र की सभी सीटों हेतु अर्ह है। अभ्यर्थी राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु अपनी अर्हता का स्वयं आंकलन करे।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण कराया है परन्तु सिक्योरिटी धनराशि नहीं जमा कर सके हैं वह अपनी सिक्योरिटी धनराशि जमा कर काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन हुआ था, किन्तु प्रवेश नहीं लिया गया है, अथवा प्रवेश लेने के पश्चात् त्याग-पत्र दे दिया है, ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 15.11.2022 से पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा कर काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। पूर्व में जमा धरोहर धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
- राजकीय मेडिकल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटित कालेज में सम्पन्न की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया प्रवेश हेतु नामित नोडल सेन्टरों पर सम्पन्न करने के पश्चात् प्रवेशित कालेजों में रिपोर्ट किया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी भी अभ्यर्थी/अभिभावक को काउंसिलिंग/आवंटन के संबंध में कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जायेगी।
- अन्य महत्वपूर्ण सूचनायें एवं विस्तृत विवरण वेबसाइट <https://upneet.gov.in> & www.dgme.up.gov.in पर देखी जा सकती है। अद्यतन सूचनाओं की जानकारी हेतु समय-समय पर उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

महानिदेशक